कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–1/ FP/MP/MIN/33660/2018/998 भोपाल, दिनांक 09-03-2020

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण)अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं.–3, ई–5 रविशंकर नगर, भोपाल,म.प्र.

विषयः–सतना वन मंडल के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम पिपरीटोला के कक्ष क्र.पी.एफ.–870 (नया) रकबा 4.6 हे. वनभूमि में स्थित श्री शरद कुमार बंसल की खदान का नवीनीकरण।

संदर्भः–ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/33660/2018

----0----

वर्ष 2002 में श्री शरद कुमार बंसल द्वारा सतना वन मंडल में लेटराईट खनिज के उत्खनन के लिये 8.00 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई थी। आवेदक संस्था द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव क्रमांक से इस 8.00 हेक्टेयर में से 4.6 हेक्टेयर वन भूमि में खनन हेतु नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

इस प्रस्ताव पर दिनांक 24.12.2019 को भारत सरकार में आयोजित बैठक में स्वीकृति हेतु विचार करने पर यह पाया गया कि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य में मात्र 570 पौधें ही जीवित है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा यह आपत्ति ली गई कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 8600 पौधें रोपित होने थे तब रोपण में क्यों 2000 पौधें मात्र रोपित किये गये। मौके पर नीलगिरी के पौधें रोपित किये गये जबकि वृक्षारोपण योजना के अनुसार मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपित होने थे।

इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी, सतना से जानकारी चाहने पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक 2383 दिनांक 26.02.2020 से अवगत कराया है कि तत्समय मौके पर पर्याप्त जल भण्डार होने के कारण 2000 पौधों का रोपण किया गया था। प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा यह अनुमोदन दिया गया है कि क्षेत्र में भारत सरकार की वर्ष 2002 की स्वीकृति की शर्त के अनुसार अनुमोदित रोपण योजना के अनुसार 8600 पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अतः इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 992 दिनांक 09/3/2020 से स्वीकृत योजना के अनुसार रोपण करने के लिये आवश्यक धन राशि सतना वन मंडल को उपलब्ध कराने के लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) से अनुरोध किया गया है। यह कार्यवाही शीघ्र ही कर ली जावेगी। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

आवेदक संस्था द्वारा वर्ष 2002 में ही रोपण के लिये आवश्यक राशि तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वन भूमि उपलब्ध करा दी थी। इस प्रकार प्रकरण में आवेदक संस्था स्तर से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

09/03/2020
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक/एफ–1/ FP/MP/MIN/33660/2018/ भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, सतना, मध्यप्रदेश
3. श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा जिला सतना, मध्य प्रदेश।
   की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

09/03/2020
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–1/FP/MP/MIN/33660/2018/10–11/992 भोपाल, दिनांक 9-3-20

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कैम्पा)
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषयः–सतना वन मंडल में श्री शरद कुमार बंसल की वन क्षेत्र में स्थित खदान के बदले में प्राप्त गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण करने बावत्।

----0----

वर्ष 2002 में श्री शरद कुमार बंसल द्वारा सतना वन मंडल में लेटराईट खनिज के उत्खनन के लिये 8.00 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रकरण वन विभाग को प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अनुमति जारी की गई थी। स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न है। प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई थी।

इस प्राप्त गैर वन भूमि को वन घोषित किया जा चुका है। इस स्थल पर वृक्षारोपण योजना के अनुसार 8.00 हेक्टेयर रकबे में 8600 पौधें रोपित किये जाने थे। रोपित किये जाने वाले पौधें सिरस, करंज, ऑवला, नीम, बांस, सागौन आदि प्रजातियों के थे। वर्ष 2004 में स्थल पर मात्र 2000 पौधों का ही रोपण किया गया।

इस खदान की लीज समाप्त होने के उपरांत आवेदक श्री शरद कुमार बंसल द्वारा पूर्व में स्वीकृत 8.00 हेक्टेयर रकबे में से 4.6 हेक्टेयर रकबे में नवीनीकरण का प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर इसे स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

इस प्रस्ताव पर दिनांक 24.12.2019 को भारत सरकार में आयोजित बैठक में स्वीकृति हेतु विचार करने पर यह पाया गया कि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य में मात्र 570 पौधें ही जीवित है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा यह आपत्ति ली गई कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 8600 पौधें रोपित होने थे तब रोपण में क्यों 2000 पौधें मात्र रोपित किये गये। मौके पर नीलगिरी के पौधें रोपित किये गये जबकि वृक्षारोपण योजना के अनुसार मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपित होने थे।

इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी, सतना से जानकारी चाहने पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक 2383 दिनांक 26.02.2020 से अवगत कराया है कि तत्समय मौके पर पर्याप्त जल भण्डार होने के कारण 2000 पौधों का रोपण किया गया था। गुगल इमेज पर तत्समय की स्थिति देखने पर वृक्षारोपण का क्षेत्र रिक्त दिखाई दे रहा है।

प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा यह अनुमोदन दिया गया है कि क्षेत्र में भारत सरकार की वर्ष 2002 की स्वीकृति की शर्त के अनुसार अनुमोदित रोपण योजना के अनुसार 8600 पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अतः अनुरोध है कि इस रोपण के लिये आवश्यक राशि वनमण्डलाधिकारी, सतना को उपलब्ध कराई जाये। साथ ही इस तथ्य की भी जांच कर ली जाये कि तत्समय 8600 पौधें के स्थान पर मात्र 2000 पौधे ही क्यों रोपित किये गये।

आवेदक संस्था द्वारा वर्ष 2002 में ही रोपण के लिये आवश्यक राशि तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वन भूमि उपलब्ध करा दी थी। इस रोपण स्थल पर आवश्यक संख्या में रोपण न होने के कारण भारत सरकार द्वारा आपत्ति ली गई है तथा आवेदक का नवीनीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पा रहा है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार सतना वन मंडल को रोपण हेतु आवंटन शीघ्रता से करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

9/3/20

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/33660/2018/10–11/493 भोपाल, दिनांक 9-3-20

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, सतना, मध्यप्रदेश
   की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

9/3/20

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

09/3/20

GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

Regional Office, Western Region,
E-3/240, अरेरा कालोनी/Arera Colony,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
दूरभाष /Phone: 466525,465496, 465054
फैक्स /Fax: 0755-463102
तार /Telegram: CENTFOREST
अणुडाक /E-mail: rcefwr@sancharnet.in

क्रमांक: 8सी/5/435/1997 एफसीडब्ल्यू/ 2971

दि. 19-12-2002,

प्रति,

प्रधान सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल ।

विषय: सतना जिले में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु 8.00 हे0 वनभूमि श्री शरद कुमार बंसल को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ: 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8सी/5/435/1997-एफसीडब्ल्यू दिनांक 27.08.1998
2. मु0व0सं0(भू-सर्वे),म0प्र0 का पत्रांक एफ-1/63/94/10-11/3853 दिनांक 29.11.2002

P-242-43

महोदय,

कृपया अपने उक्त विषयक पत्रांक एफ-5/18/97/10/3, दिनांक 05.05.1997 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तो के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, म0प्र0 शासन ने उक्त शर्तो की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से सतना जिले में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु 8.00 हे0 वनभूमि श्री शरद कुमार बंसल को वनेत्तर उपयोग के लिये दिये जाने का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2 क. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर सतना जिले के रघुराजपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम नयागांव के खसरा नं0 96/1 :पार्ट: में 8.00 हे0 गैर वन भूमि पर इस पत्र के निर्गत होने के दो वर्ष के अंदर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

ख. यह भूमि आरक्षित/संरक्षित वन घोषित की जायेगी ।

3. उपयोगकर्ता के खर्च पर, भूमि पर क0 संख्या, बियरिंग और खम्भे से खम्भे की दूरी सहित, आर0सी0सी0 खम्भों (ऊँचाई 4 फीट) का प्रयोग करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा ।

4. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर खनित क्षेत्र का समतलीकरण किया जायेगा । खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके से किया जायेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाये वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जायेगा ।

361
27.12.02

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

....2....

3553 — 25

5. खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी ।
6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
7. प्रत्यावर्तित वनभूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।
8. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई भी शर्त ।

भवदीय,

(दीपक श्रीवास्त
उप वन संरक्षक (केन्द्री

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, म0प्र0 शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, म0प्र0 ।
4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, सतना (म0प्र0) ।
5. श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म0प्र0) ।
6. आदेश पत्रावली ।

सत्य प्रतिलिपि

दीपक श्रीवास्
(दीपक श्रीवास्तव
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय

san/order/2other/6-7

उप वन संरक्षक (भू-प्रबंध),
मध्यप्रदेश भोपाल
27/6